



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा (संस्कृत) परीक्षा, 2013 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 93/2012

एतद् द्वारा सभी राजकीय/अनुदानित/प्रस्वीकृत संस्कृत उच्च विद्यालयों के छात्र/छात्राओं, प्रधानाध्यापकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मध्यमा (संस्कृत) परीक्षा, 2013 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए **सादा परीक्षा आवेदन पत्र, मूद्रित पंजीयन रसीद एवं वर्ष 2010 तथा 2011 का मूल प्रमाण पत्र** परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से **दिनांक 03.12.2012 से 05.12.2012 तक** वितरित किये जायेंगे, जिसे विद्यालय प्रधान स्वयं या प्राधिकृत दूत भेजकर प्राप्त कर लेंगे तथा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करेंगे।

1) विद्यालय प्रधानों को यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीयन रसीद में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाय, तो त्रुटि का निराकरण कर उसकी विवरणी दो प्रतियों में तैयार कर पंजीयन रसीद के साथ **दिनांक 22.12.2012 तक** संबंधित परिषद् कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर संशोधित करा लेंगे।

2) **भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्र परिषद् में जमा करने की तिथि:-**

विलम्ब शुल्क रहित- दिनांक 17.12.2011 से 22.12.2012 तक।
विलम्ब शुल्क सहित- दिनांक 26.12.2012 से 29.12.2012 तक।

3) **परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा :-**

- 1) परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क : ₹50/- प्रति छात्र/छात्रा।
- 2) परीक्षा शुल्क : ₹100/- प्रति छात्र/छात्रा।
- 3) अंक पत्रक शुल्क : ₹60/- प्रति छात्र/छात्रा।
- 4) लोकल लेवी : ₹190/- प्रति छात्र/छात्रा।
- 5) विविध शुल्क : ₹20/- प्रति छात्र/छात्रा।
- 6) औपबन्धिक प्रमाण पत्र-सह-प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क : ₹70/- प्रति छात्र/छात्रा।
- 7) विलम्ब शुल्क (एक मुद्रत) : ₹200/- प्रति छात्र/छात्रा।
- 8) व्यावहारिक परीक्षा शुल्क : ₹10/- प्रति छात्र/छात्रा।

(गृह विज्ञान, संगीत)

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 'झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड, राँची' के नाम से देय एवं भुगतये, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए 'झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड, दुमका' के नाम से देय एवं भुगतये तथा पलामू प्रमण्डल के लिए 'झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड, डाल्टेनगंज' के नाम से देय एवं भुगतये होगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। डाक द्वारा भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट :- परीक्षा की तिथि एवं कार्यक्रम बाद में प्रकाशित की जायेगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

JAC/मध्यमा/20571/SECY/563/12

Dt. 16.11.2012

D.O.P. 17.11.2012

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।